

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

विविध (सी०एन०टी०) वाद संख्या-129/2012-13

सोहराई महतो

बनाम्-

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड

-::आदेश::-

13.06.2024

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। आवेदक 1. श्री सोहराई महतो 2. गोपाल महतो पिता स्व० शंभु महतो 3. श्री सुफल महतो 4. श्री कलेबर महतो 5. श्री जीतु महतो 6. श्री हितलाल महतो पिता स्व० बुका महतो 7. श्री जगन्नाथ महतो उर्फ जगन महतो पिता स्व० चमटु महतो 8. श्री हराधन महतो पिता स्व० लखीराम महतो जाति कुर्मी ग्राम- अलकुशा, थाना- चास(मु०) जिला-बोकारो के द्वारा निज भूमि जिसका ब्योरा नीचे अंकित है, को इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं०-10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर-12 बी०एस०सिटी को कल-कारखाना लगाने हेतु बिक्री की अनुमति प्रदान करने के लिए सी०एन०टी० एक्ट की धारा 49 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

-: जमीन का विवरण :-

मौजा/ग्राम - अलकुशा थाना संख्या -60

खाता सं०	प्लॉट सं०	कुल रकवा	बिक्री हेतु रकवा
63	927	48 डी०	33 डी०
	932	37 डी०	16 डी०
	931	02 डी०	02 डी०
	933	05 डी०	05 डी०
	936	05 डी०	05 डी०
	938	59 डी०	36 डी०
	943	5ए० 87डी०	16 डी०
	946	5ए० 03डी०	2ए० 37डी०
64	934	54 डी०	20 डी०
	937	72 डी०	19 डी०
	939	30 डी०	20 डी०
	940	08 डी०	08 डी०

इस संदर्भ में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-1823, दिनांक-03.07.2023 का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा अलकुशा, थाना सं0-60 के अन्तर्गत खाता सं0-63 एवं 64, प्लॉट सं0-927, 932, 931, 933, 936, 938, 943, 946, 934, 937, 939 एवं 940 बिक्री हेतु प्रस्तावित रकवा 4.17 ए0 की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है, जिसका किस्म गोड़ा तीन दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का भोलू माहात दी0 के नाम पर जमाबंदी कायम है। बिक्री करने के पश्चात आवेदक के हिस्से में लगभग 8.00 एकड़ भूमि शेष बचता है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होंगे। बिक्री की जाने वाली भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल-कब्जा है। अंचल अधिकारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 के तहत बिक्री की अनुमति दी जाने के लिए अनुशंसा की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा अलकुशा, थाना सं0-60 के अन्तर्गत खाता सं0-63 एवं 64, प्लॉट सं0-927, 932, 931, 933, 936, 938, 943, 946, 934, 937, 939 एवं 940 बिक्री हेतु प्रस्तावित रकवा 4.17 ए0 की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का अपना स्वत्व, स्वामित्व, हक एवं पूर्ण अधिकार के साथ शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। आवेदक स्वेच्छा से प्रश्नगत भूमि, द्वितीय पक्ष (इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड) को कल-कारखाना लगाने के उद्देश्य से बिक्री करना चाहते हैं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के दलील, अभिलेख में संधारित अन्य कागजात एवं अंचल अधिकारी, चास से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा अलकुशा, थाना सं0-60 के अन्तर्गत खाता सं0-63 एवं 64, प्लॉट सं0-927, 932, 931, 933, 936, 938, 943, 946, 934, 937, 939 एवं 940 बिक्री हेतु प्रस्तावित रकवा 4.17 एकड़ की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है, जिस पर आवेदक का अपना स्वत्व, स्वामित्व, हक एवं पूर्ण अधिकार के साथ शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। जिसे आवेदक स्वेच्छा से इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं0-10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर-12

118 119

बी0एस0सिटी को कल-कारखाना लगाने के उद्देश्य से बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करना चाहते हैं।

वर्णित परिस्थिति में अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजात के आधार पर आवेदक 1. श्री सोहराई महतो 2. गोपाल महतो पिता स्व0 शंभु महतो 3. श्री सुफल महतो 4. श्री कलेबर महतो 5. श्री जीतु महतो 6. श्री हितलाल महतो पिता स्व0 बुका महतो 7. श्री जगन्नाथ महतो उर्फ जगन महतो पिता स्व0 चमटु महतो 8. श्री हराधन महतो पिता स्व0 लखीराम महतो जाति कुर्मी ग्राम- अलकुशा, थाना- चास(मु0) जिला-बोकारो द्वारा द्वितीय पक्ष मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं0-10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर-12 बी0एस0सिटी को प्रश्नगत भूमि मौजा अलकुशा, थाना सं0-60 के अन्तर्गत खाता सं0-63 एवं 64, प्लॉट सं0-927, 932, 931, 933, 936, 938, 943, 946, 934, 937, 939 एवं 940 बिक्री हेतु प्रस्तावित रकवा 4.17 एकड़ की भूमि बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है:-

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत द्वितीय पक्ष मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं0-10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर-12 बी0एस0सिटी किसी भी कारण से उद्देश्य पूर्ण होने पर प्रश्नगत भूमि को किसी तीसरे पार्टी को न तो हस्तांतरित करेंगे और न ही पट्टे पर देंगे। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नहीं हो तो विपक्षी बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष को वापस करेंगे।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(3) के आलोक में बिक्रेता द्वारा क्रेता को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जाएगा।

3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012

47/8101

अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तान्तरण नहीं होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नहीं होगा।

4. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।

5. क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू-लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तान्तरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

7. अवर निबंधक, निबंधन से पूर्व क्रेता तथा विक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

उक्त विवेचना/शर्तों के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

13/06

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।

13/06

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

स्थान:- बोकारो

दिनांक:- 13/06/2024